



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229461
CG-DL-E-07092021-229461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]
No. 371]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

फा. सं. मानक/टीएफ-वेगन फूड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2021 का निम्नलिखित मसौदा, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बनाने का प्रस्ताव किया है, को उक्त धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस विनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

2. परिभाषा- (1) इन विनियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो :

(क) "वेगन फूड से तात्पर्य ऐसे खाद्यों अथवा खाद्य संघटकों से हैं जिनमें दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मछली, कुक्कुट और मांस, अंडे या अंडे उत्पाद, मधु या मधु मक्खी उत्पाद, कीट मूल की सामग्रियों, जैसे रेशम, रंजक, काइटिन/काइटोसेन आदि या संघटकों, जिनके शुद्धिकरण में पशु स्रोत से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग किया जाता है उदाहरणार्थ चीनी विरंजन में अस्थि कोयला, बियर शुद्धिकरण में अभ्रक आदि का प्रयोग किया जाता है, सहित पशु मूल के ऐसे किसी संघटक, योज्य और प्रसंस्करण सहायकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(2) अन्य सभी शब्द और वाक्यांश, जिनका प्रयोग यहां किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम, या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है, से वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो क्रमशः अधिनियम, नियमों या विनियमों में दिया गया है।

3. सामान्य अपेक्षाएं -

- (1) कोई व्यक्ति वेगन फूड के रूप में किसी खाद्य का विनिर्माण, पैक, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्तुत, विपणन या अन्य प्रकार से वितरण या आयात नहीं करेगा जब तक कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन न किया जाए।
- (2) खाद्य उत्पादों या संघटकों जिन्हें वेगन कहा जाएगा, में अंतिम उत्पाद/संघटक की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पशु परीक्षण सम्मिलित नहीं होगा, और उनमें पशु से प्राप्त कोई जीएमओ या संघटकों या उत्पादों के विनिर्माण के लिए पशु से प्राप्त जीन का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए उत्पाद नहीं होंगे।
- (3) अनुमार्गीयता निर्माता स्तर तक स्थापित की जाएगी और इसमें समय-समय पर खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्री या उत्पादों की वेगन अखंडता को बनाए रखने के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य आवश्यकताएं शामिल होंगी।
- (4) सभी वेगन खाद्य/संघटकों के संबंध में अधिनियम, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथा प्रयोज्य संगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

4. वेगन खाद्य अनुपालन

- (1) खाद्य कारोबारी संयंत्र/मशीनरी/परिसरों से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों के साथ प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। परिसरों का निरीक्षण एवं सत्यापन संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा अभिहित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (2) अनुपालन के लिए अंतिम उत्पाद का सत्यापन भी विश्लेषणात्मक उपकरणों (आणविक/रासायनिक/दोनों का संयोजन) के उपयोग द्वारा किया जाएगा ताकि लाइसेंस में वेगन लोगो के समर्थन के लिए पशु मूल की अनुपस्थिति का पता लगाया जा सके।
- (3) खाद्य प्राधिकरण ऐसे उत्पादों के लिए वेगन लोगो के समर्थन और वार्षिक बाजार निगरानी के लिए दिशा-निर्देश निर्दिष्ट कर सकता है। संबंधित पंजीकरण या लाइसेंसिंग प्राधिकरण वर्ष में कम से कम एक बार पंजीकृत प्रतिष्ठान की निगरानी करेगा।

5. लेबलिंग और प्रदर्शन अपेक्षाएं -

- (1) सभी वेगन खाद्य पदार्थ ऊपर निर्दिष्ट लेबलिंग अपेक्षाओं के अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
- (2) वेगन खाद्य के विक्रेता या तो विशेष रूप से या खुदरा व्यापार के हिस्से के रूप में ऐसे खाद्य को गैर-वेगन खाद्य से अलग तरीके से संग्रहीत और प्रदर्शित करेंगे।
- (3) इन विनियमों के खंड 4 में निर्दिष्ट अनुमोदन के बाद, वेगन खाद्य पदार्थों के प्रत्येक पैकेज पर नीचे निर्दिष्ट लोगो होगा:



'हरा' रंग और पत्ती दर्शाती है कि घटक/उत्पाद वनस्पति मूल से संबंधित है। अक्षर 'V' उत्पाद की पहचान 'वेगन' के रूप में करता है।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./235/2021]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI.—The following draft of Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021, which the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) propose to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. Short Title and Commencement - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021.

2. Definitions- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) “Vegan Food” means those foods or food ingredients that have not made use of any ingredients, additives and processing aids of animal origin including milk and milk products, fish, poultry and meat, egg or egg products, honey or honey bee products, materials of insect origin like silk, dyes, chitin/chitosan etc or ingredients that are clarified using animal sourced products e.g., bone char used in sugar bleaching, isinglass in clarifying beer etc.

(2) All the other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or rules or regulations made thereunder shall have the meanings assigned to the same in the Act, rules or regulations respectively.

3. General Requirements-

- (1) No person shall manufacture, pack, sell, offer for sale, market or otherwise distribute or import any food as vegan food unless they comply with the requirements laid down under these regulations.

- (2) The food products or ingredients to be called VEGAN, shall not have involved animal testing for evaluating the safety of the final product/ingredient; and, shall not contain any animal derived GMOs or products prepared using animal derived gene for manufacturing the ingredients or products.
- (3) Traceability shall be established up to the manufacturer level and shall include any other requirements prescribed by the Food Authority to maintain the vegan integrity of the foods or food ingredients or products thereof from time to time.
- (4) All vegan foods/ingredients shall comply with the relevant provisions, as applicable under the Act, Rules and regulations.

4. Vegan food compliance

- (1) The Food Business Operator shall submit an application with all necessary details related to plant/machinery/premises to the Authority. Inspection and verification of the premises shall be done by concerned Food Safety Officer or Designated Officer.
- (2) Verification of the final product for compliance shall also be done by use of analytical tools (molecular/chemical/combination of both) available to ascertain absence of animal origin for endorsement of the vegan logo in the license.
- (3) The Food Authority may specify guidelines for endorsement of vegan logo and annual market surveillance for such products. The concerned registration or licensing authority shall carry out surveillance of the registered establishment at least once in a year.

5. Labelling and display requirements-

- (1) All vegan foods shall comply with the packaging and labelling requirements specified under the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 in addition to the labelling requirements specified above.
- (2) The seller of vegan food either exclusively or as part of retail merchandise shall store and display such food in a manner distinguishable from non-vegan food.
- (3) Every package of vegan foods, after the endorsement as specified in clause 4 of these regulations, shall carry the logo as specified below:



The 'Green' colour and the leaf depicts that the ingredient/product is of plant origin. The letter 'V' identifies the product to be as 'Vegan'.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./235/2021